राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 8892/2017</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
निर्मल कुमार यूनिट नं. 90, ब्लॉक के नारायण विहार, असरपुरा, अजमेर रोड जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं परिवहन अधिकारी राज. परिवहन विभाग, झालाना डुँगरी जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 14-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनिल कुमार सोनी, जिला परिवहन अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 26-07-2016 के द्वारा अपीलार्थी ने आवेदन में उल्लेखित वाहन संख्या के दस्तावेजों की छाया प्रति एवं पार्किंग से संबंधित छाया प्रति चाही थी। प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 17-11-2016 के आदेश के उपरान्त भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री अनिल कुमार सोनी ने बताया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करादी गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 13-03-2018 प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वाहनों के संबंधित जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करादी गई है। पार्किंग के संबंध में शपथ पत्र लिया जाना तत्त समय अनिवार्य नहीं था। अपीलोत्तर से उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त